न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 34/2021

प्रार्थी–

1. रामूराम पुत्र मंगाराम
2. लिछमणराम पुत्र मंगाराम जातियान–जाट , निवासीगण– कमेड़िया, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री इन्द्रसिंह राठौड़
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 11/7/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातदेारी में मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 143 रकबा 4.6539 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 505/143 रकबा 2.0331 हैक्टेयर जो कि प्रार्थी रामुराम के खातेदारी में खसरा नंबर 143 रकबा 4.6539 दर्ज है तथा खसरा नंबर 505/143 रकबा 2.0331 हैक्टेयर लिछमणराम के नाम से खातेदारी में दर्ज है। जिसकी तरमीम पटवारी हल्का कमेड़िया ने गलत रूप से कर दी है। खसरा नंबर 505/143 पूर्वी दिशा में जो कि तरमीम में खसरा नंबर 143 रामूराम के नाम तरमीम दर्ज है जो गलत रूप से मौके पर हुई है। मौके पर खसरा नंबर 505/143 प्रार्थी लिछमणराम का कब्जा काश्त उतरी पूर्वी तरफ है दक्षिणी तरफ रास्ता की तरफ लिछमणराम का कब्जा काश्त नहीं हैं। पटवारी हल्का कमेड़िया द्वारा की गई तरमीम गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में की गई है जो शुद्वि की तारीख में आती है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरीनक्शानुसार तरमीम की जानी विधिनुसार हैं। अतः मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता होने की वजह से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार तहसीलदार जायल ने जवाब जरिये पत्रांक 2022/2596 दिनांक 29.03.2021 को मय हल्का पटवारी कमेड़िया की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि ग्राम कमेड़िया के नामान्तकरण संख्या 309 दिनांक 05.08.1998 के अनुसार हुवे विभाजन द्वारा खसरा नंबर 505/143 जो कि लिछमणराम के हक बंट में तथा खसरा नंबर 143 का पश्चिमी भाग किया गया है लेकिन उक्त खसरा नंबर 143 का उतरी पश्चिमी हिस्से पर नक्शानुसार

11/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

लिछमणराम का कब्जा है। जो कि खसरा नंबर 505/143 है। लेकिन वर्तमान रिकार्ड में खसरा नंबर 505/143 जो कि खसरा नंबर 143 से पश्चिमी में स्थित है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में रेकर्ड की वर्तमान की स्थिति तथा वास्तविक कब्जा व सही स्थिति का नजरीनक्शा पेश किया तथा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 380 व खाता संख्या 408 प्रस्तुत की। वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा राजपेरोकार द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कमेड़िया के खतौनी सं. 380 व 408 में अंकित खसरा नं. 505/143 व 143 की तरमीम जो राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति से भिन्न होने पर वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मौजा कमेड़िया नकल जमांबदी सम्वत् 2044–2052 के अनुसार खाता संख्या 133 के खेतायों का बंटवाड़ा जरिये विभाजन से हुआ जिसमें मूल खसरा नंबर 143 रकबा 4.6539 हैक्टेयर भाग रामुराम पुत्र मंगाराम एवं खेत खसरा नंबर 505/143 रकबा 2.3310 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज की गई तथा उसी अनुरूप तरमीम की गई। पक्षकारान् वर्षो से विभाजन अनुसार काश्त करसण कर रहे हैं तो तरमीम राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति से भिन्न स्थान पर हो कैसे हो गई है तथा उसमें सुधार करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 1 की रिपोर्ट में उक्त के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि तरमीम वास्तविक मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड में कैसे भिन्न हो गई है। तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य सबूतादि से यह भी साबित नहीं हो रहा है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 505/143 व खसरा नंबर 143 की तरमीम किस आधार पर लट्ठा नक्शा में दर्ज की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल. आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, क्यों कि धारा 136 के तहत रेकर्ड मे प्रतिदिन के कार्यकलाप मे राजस्व रेकार्ड मे हुई गलतियों को सही किया जा सकता है। साथ ही भू–प्रबन्ध के दौरान किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की खातेदारी या गैर खातेदारी कृषि भूमि को सिवायचक या चरागाह दर्ज कर दिया गया है अथवा किसी राजकीय भूमि , सिवायचक या चरागाह को किसी व्यक्ति के खातेदारी दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियो को धारा 136 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा समरी ट्रायल से शुद्ध किया जा सकता है। तथा किसी का जाति नाम या स्वयं का नाम भी सम्मान जनक किया जा सकता है। जैसे –रामला का रामलाल, चमार का मेघवाल इत्यादि। तथा विशेष– धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो पूर्व मे निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुरूप ही गलतियो की शुद्धि की जा सकती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट–1956 के तहत पोषणीय नहीं होने तथा साक्ष्य सबूतादि के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: :आदेशः : –

यत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956के तहत पोषणीय नहीं होने तथा प्रार्थी के पक्ष में सम्पुष्ट नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद से ही अनुतोष प्राप्त करें। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अपने नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11/7/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल